

**शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सोमन लाल पुत्र देवीलाल नि० लालपुरवा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-258/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सूर्यलाल सोनकर पुत्र बहाउ सोनकर नि० पिपरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-251/21, 02. विट्टन देवी उर्फ ननका पत्नी दिलीराम नि० गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-252/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. रक्षाराम चौहान पुत्र बासू चौहान नि० सकदी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-253/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कन्हैया लाल पुत्र बाबूलाल नि० मैनपुर दुबौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-334/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 21.10.2021**

**अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रंजीत वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. रंजीत वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा नि० दुर्जनपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—387/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 21.10.2021**

**थाना मोतीगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने रात्रि गस्त के दौरान अभियुक्त संजय कुमार उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना मोतीगंज व जनपद हापुड के थाना गढ़मुक्तेश्वर में भी अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. संजय कुमार उर्फ बबलू पुत्र किशोरीलाल नि० ग्राम छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-254/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० शरद कुमार अवस्थी मय टीम।

